

32

RCMS

फर्द अहकाम

(नियम 13)

(General Rules (Civil) Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

अज अदालत तहसीलदार, सिणधरी

2019/00011

6/8/19



राजस्थान सरकार जरिये पटवारी
सिणधरी

बनाम

अमराराम, चमणाराम, वैष्णाराम पि. साईदानराम
जे. डी. वी. पाले साईदानराम काम पाट मिवाली
सिणधरी - चारगान

किस्म मुकदमा- राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91

मु. न. 32/सन 2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01/03/19	<p>पटवारी हल्का..... सिणधरी..... ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत्. 2075..... में मौजा..... सिणधरी..... के खसरा संख्या 1.04/2..... रकबा 0-07 कींचा..... किस्म भूमि गैर सायल पर नाजायज अतिक्रमण कर का त व कब्जा किया है। अतः राजस्थान राजस्व भू अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 18/03/19..... को बमुकाम सिणधरी पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी</p>	अमराराम
18/3/19	<p>पत्रावली पल्लुत हुई / गैर सायल अप्रार्थी उपरिष्ठ नोटिस का तलब प्राप्त के शकिक मिलल किना गण) गैर सायल के कवाक हेतु समग्र चाह के दिनांक 28/3/19 के पल्लुत हो।</p> <p style="text-align: center;"> तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर</p>	

28/3/19

पत्रावली मांग प्रस्तुत हुई। गैर सामान्य द्वारा पेशी के पश्चात् प्रस्तुत जनव को शांति मिली किता गथा। गैर सामान्य अनुपस्थित। पत्रावली माई-डा दिनांक 15/4/19 को प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

15/4/19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सामान्य अनुपस्थित। पत्रावली माई-डा दिनांक 06/5/19 को प्रस्तुत है।

तहसीलदार सिणधरी
जिला - बाड़मेर

6.5.19

पत्रावली प्रस्तुत हुई। गैर सामान्य अनुपस्थित। गैर सामान्य द्वारा जो जवाब प्रस्तुत किया गया उसके तथ्य मानने योग्य नहीं है रास्ते का उपयोग न होने के बावजूद उस पर कब्जा कर लेना अनुचित है। गैर सामान्य द्वारा स्वीकार की किया गया कि क.स. 10/2 गैर सामान्य है एवं इस पर काबिज है कठोर के संदर्भ में कोई विधि माय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है। गैर सामान्य का अतिक्रम घोषित किया जाता। निर्वाचन प्रथम से लिया जाकर प्रस्तुत है। पत्रावली फेरल शुमार हाउस नम्बर 6 है।

तहसीलदार सिणधरी

वर्ष 2019-20 के राजस्व लेखा पत्रिका स. 4 के पृष्ठ सं. पर क्र.सं. पर जुमाना/कसल पृष्ठ सं. की मांग दर्ज की गई।
निलामी राशि रु.
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी